विहित जानकारी

घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निम्नलिखित जानकारी ज़रूर पढ़ें

अनियंत्रित ऋण स निपटन क लिए आपक विकल्प

अपने लेनदारों से बात करें: कुछ लेनदार आपको ऋण चुकाने के लिए अधिक समय दे सकते हैं, ऋण चुकाने के मुद्दे पर **फिर से मोलभाव कर सकते हैं या ऋण के अंतिम** रूप से निपटान के लिए अपेक्षाकृत कम भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। कुछ लेनदारों के पास कठिन परिस्थितियों के लिए प्रावधान होता है जिनसे आपके अनुबंध की शर्तों में बदलाव किया जा सकता है। आपको अपने लेनदारों को फोन करके उनसे उनके प्रावधानों के बारे में पूछना चाहिए।

ऋणी-याचिका दायर करने की इच्छा का घोषणा-पत्र दायर करें: यह आपके बे-ज़मानती ऋण को वसूल करने की कार्रवाई करने से लेनदार, 'बेलिफ' या 'शेरिफ' को 21 दिनों तक रोकेगा। इस दौरान आप अपने लेनदार से बात कर सकते / सकती हैं, अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते /सकती हैं या सलाह ले सकते /सकती हैं।

ऋण करार (डीए DA) का प्रस्ताव एवं उस पर हस्ताक्षर करें: ऋण करार आप और आपके लेनदारों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकर व्यवस्था है जिसपर अधिकांश लेनदार सहमत होने चाहिए। यह ऋण-करार प्रशासक द्वारा शुल्क लेकर करवाया जाता है। डीए DA का प्रस्ताव करने के लिए आपके ऋण, परिसंपत्तियां एवं आय एक विहित सीमा*तक होने चाहिए। आप अपने लेनदारों को किस्तों में अथवा ऋण की समूची धनराशि में से घटाई हुई रकम का एकमुश्त भुगतान कर ऋण चुकाने की पेशकश कर सकते / सकती हैं। जैसे ही आप करार की सारी अनिवार्यताएं पूरी कर भुगतान कर देंगे, आप करार में शामिल ऋण से मुक्त हो जायेंगे। आपका नाम पब्लिक रजिस्टर (एनपीआइआइ NPII) में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा तथा 5 वर्षों के लिए, और कुछ परिस्थितियों में तो और लम्बे समय के लिए कमर्शियल क्रेडिट रिकॉर्ड में आ जाएगा। अतिरिक्त जानकारी एवं अनिवार्यताओं के लिए इस पृष्ठ के नीचे पैराग्राफ' ऋण तथा कुछ अन्य सेवाएं प्राप्त करने की आपकी पात्रता प्रभावित हो सकती है' को देख लें।

व्यक्तिगत दिवालियापन करार (पीआइए PIA) प्रस्तावित कर उस पर हस्ताक्षर करें: पीआइए भी आप और आपके लेनदारों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकर व्यवस्था है जिस पर अधिकांश लेनदार सहमत होने चाहिए। पीआइए PIA ट्रस्टी द्वारा करवाया जाना चाहिए जो इसके लिए शुल्क लेगा। इसमें ऋण, परिसंपत्तियों और आय की कोई सीमा नहीं है। आप अपने लेनदारों को किस्तों में या ऋण की समूची धनराशि में से घटाई हुई रकम का एकमुश्त भुगतान कर ऋण चुकाने की पेशकश कर सकते / सकती हैं। जैसेही आप करार की सारी अनिवार्यताएं पूरी कर भुगतान कर देंगे, आप करार में शामिल ऋण से मुक्त हो जायेंगे। आपका नाम पब्लिक रजिस्टर (एनपीआइआइ NPII) में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा तथा 5 वर्षों के लिए, और कुछ परिस्थितियों में तो और लम्बे समय के लिए कमर्शियल क्रेडिट रिकॉर्ड में बना रहेगा।

सूचना के अन्य स्रोत: आप वित्तीय परामर्श सेवा, रजिस्टर्ड ट्रस्टी, रजिस्टर्ड ऋण करार प्रशासक, वकील या लेखाकार की सहायता ले सकते/सकती हैं। वे आपको विकल्प सुझायेंगे और आपकी ओर से लेनदारों के साथ चर्चा करेंगे।

उपर्युक्त विकल्पों या वित्तीय मार्गदर्शन के स्रोतों के बारे में अधिक जानकारी के लिए एएफएसए AFSA से 1300 364 785 पर संपर्क करें या www.afsa.gov.au देखें।

दिवालियापन की याचिका दायर करने की दिशा में अग्रसर होने के परिणाम

ट्रस्टी आपको दिवालिया बना देगा: खुद को दिवालिया बनाने के आप लिए किसी रजिस्टर्ड ट्रस्टी से कह सकते / सकती हैं। यदि आप ट्रस्टी नहीं चुनते तो एएफएसए AFSA किसी अन्य ट्रस्टी से आपका ट्रस्टी बनने के लिए कह सकता है, अन्यथा आधिकारिक ट्रस्टी (AFSA) आपका ट्रस्टी बन जाएगा। आपके लेनदार आपका ट्रस्टी बदल सकते हैं। आपको हमेशा अपने ट्रस्टी से सहयोग करना होगा। आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों (नाम, पता, या आय सहित) में कोई भी बदलाव आए तो इसकी लिखित जानकारी अपने ट्रस्टी को तुरंत देनी होगी। कुछ परिस्थितियों में अपका ट्रस्टी आपके दिवालियेपन की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 या 8 साल तक कर सकता है। आम तौर पर, ट्रस्टी आपके दिवालियेपन के प्रशासन हेतु आपकी परिसंपत्तियों और आय से वसूली गई रकम से अपना शुल्क ले सकता है।

आपकी परिसंपत्तियां बेची जा सकती हैं: आप अपने सामान्य घरेलू सामान, आय कमाने के काम आनेवाले औजार एवं वाहन (किसी विहित मूल्य तक)* तो रख सकेंगे लेकिन आपके मकान समेत अन्य परिसंपत्तियां आपके ट्रस्टी द्वारा बेची जा सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के अन्दर या बाहर स्थित किसी भी संपत्ति को आप छिपा, हटा या बेच नहीं सकते / सकती हैं। यदि आप ऐसा करते /करती हैं तो आपके विरुद्ध आपराधिक मुकद्दमा चलाया जा सकता है।

आपकी आय, रोजगार और कारोबार पर असर पड़स सकता है: यदि आपकी आय एक विहित सीमा* से बढ़ती है तो आपको अपनी आय में से ऋण चुकाना पड़ सकता है।
आप किसी कंपनी के निदेशक और / या प्रबंधक नहीं हो सकते / सकती हैं। कुछ व्यावसायिक / लाइसेंस देनेवाले निकाय आपको अपने व्यापार या व्यवसाय में बने रहने से रोक / मना कर सकते हैं। आप कोई सरकारी पद पर बने रहने लायक नहीं रह सकते / सकती हैं। यदि आप किसी दूसरे के नाम से व्यापार या कारोबार करते / करती हैं तो जिसके साथ भी आप व्यापार करें, उन्हें यह अवश्य बताएं कि आप दिवालिया हैं, वरना आपके विरुद्ध आपराधिक मुकद्दमा चलाया जा सकता है।

सभी ऋणों से आप मुक्त नहीं भी हो सकते / सकती हैं : जैसे ही आप दिवालियापन से मुक्त हो जाते / जाती हैं, आप बहुत से बे-ज़मानती ऋण से मुक्त हो जाते / जाती हैं (जैसे कि क्रेडिटकार्ड, व्यक्तिगत ऋण, स्टोरकार्ड) कुछ इस प्रकार के ऋण भी हैं जो दिवालियापन में शामिल नहीं होते हैं, (जैसे कि धोखाधड़ी, दंड/ जुर्माना तथा बाल सहायता ऋण) और ऐसे ऋण को आपको चुकाते रहना होगा। यदि कोई ऋण किसी परिसंपति को गिरवी रखकर लिया गया है (जैसे मकान या कार को बंधक रखकर) और आप ऋण चुकाना जारी नहीं रखते / रखती हैं, तो लेनदार उन पर पुनः कब्जा कर उन्हें बेच सकता है, हालांकि यदि कोई कमी रह जाती है तो उसे दिवालियापन में कवर मिल जाएगा।

आपकी विदेश यात्रा की पात्रता पर असर पडेगा: अपने ट्रस्टी की लिखित अनुमति के बिना आप विदेश-यात्रा पर नहीं जा सकते / सकती हैं। आपसे अपना पासपोर्ट भी ट्रस्टी को सुपुर्द करने के लिए कहा जा सकता है। यदि आपका दिवालियापन आधिकारिक ट्रस्टी ने करवाया है तो आपको विदेश यात्रा आवेदन शुल्क भी देना पड़ सकता है।

आपका नाम हमेशा के लिए पब्लिक रजिस्टर एनपीआइआइ NPII) में लिखा रहेगा: तथा 5 वर्षों के लिए, और कुछ परिस्थितियों में तो और भी लम्बे समय के लिए कमर्शियल क्रेडिट रिकॉर्ड में बना रहेगा।

क्रेडिट कार्ड तथा कुछ अन्य सेवाएँ पाने की आपकी पात्रता पर असर पडेगा: आपके लिए पैसे उधार माँगना और क्रेडिट कार्ड पर चीज़ें खरीदना कठिन हो जाएगा। बांड दिए बिना मकान किराए पर लेना और बिजली, पानी और टेलीफोन कनेक्शन लेना कठिन हो जाएगा। कुछ बैंक आपको खाते का परिचालन या तो करने ही नहीं देंगे या इसमें अड़चने डालेंगे। यदि आपको $3,000 या अधिक रकम* का ऋण मिलता है तो लेनदार को यह अवश्य बताना होगा कि आप दिवालिये हैं। यदि आप $3000 तक या इससे अधिक रकम* का किराया खरीद करार करते / करती हैं, या उतने ही मूल्य के किसी सामान को किराये या लीज़ पर लेने का संविदा करते / करती हैं तो अपने विक्रेता या संपत्ति के मालिक को यह बताना होगा कि आप दिवालिया हैं। यदि आप $3,000 या अधिक रकम* का सामान या सेवाएं बिल ऑफ़ एक्सचेंज या चेक या प्रोमिसरी नोट देकर प्राप्त करते / करती हैं तो माल / सेवा देनेवाले को यह बताना होगा कि आप दिवालिया हैं। यदि आप $3,000 या अधिक रकम* के भुगतान का वचन देकर सामान / सेवाएँ प्राप्त करते / करती हैं तो मॉल / सेवा देनेवाले को यह अवश्य बताएँ कि आप दिवालिया हैं। यदि आप यह वचन देकर $3,000 या अधिक रकम* प्राप्त करते / करती हैं कि आप उतनी ही रकम का माल या सेवाएं देंगे, तो खरीदार को यह अवश्य बताएं कि आप दिवालिया हैं। यदि उक्त परिस्थितियों में आप यह नहीं बताते कि आप दिवालिया हैं तो आपके विरुद्ध आपराधिक मुकद्दमा चलाया जा सकता है।

*यह मात्र सूचकांक है जो समय-समय पर बढ़ सकता है (दिवालियापन अधिनियम की धारा s 304A देखें) चालू सीमाओं एवं मौद्रिक रकमों के लिए अनुसूचीकृत रकमें **www.afsa.gov.au** पर देखें या इसकी प्रति के लिए एएफएसए को 1300 364 785 पर कॉल करें

मैं यह स्वीकार करता / करती हूँ कि मैंने विहित जानकारी प्राप्त कर ली और पढ़ ली है

आपके हस्ताक्षर

दिनांक (दिन/ माह/ वर्ष)